न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः— 198/2016 निर्णय दिनांक :—17.09.19

उनवानी दावाः—

1. रामसुख पुत्र गोपी जाति गुर्जर उम्र 50 वर्ष निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
2. श्रीमती लादी पत्नी श्री गोपी जाति गुर्जर उम्र 50 वर्ष निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक (राज0)

—वादीगण—

बहक

1. देवकरण पुत्र गोपी जाति गुर्जर निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
2. नाराणी पत्नी देवकरण जाति गुर्जर निवासी कंवरपुरा तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
3. तहसीलदार देवली जिला टोंक राजस्थान।

—प्रतिवादीगण—

वाद विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :—
श्री राजेश जैन
अधिवक्ता वादी

धर्मराज गुर्जर
प्रतिवादी संख्या 1 ता 2

वाद विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा एक पक्षीय प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 12.06.17 को राजस्व लोक अदालत शिविर निवारिया में पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार देवली से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुरेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता उभयपक्ष से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता वादी की प्रार्थना रही कि कुर्रेजात रिपोर्ट सही है और मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर दी जावें जबकि अधिवक्ता प्रतिवादी ने कथन किया कि वह कुर्रेजात रिपोर्ट से सहमत नही है परन्तु इस बाबत कोई कारण स्पष्ट नहीं कर पाया।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस में कुर्रेजात रिपार्ट पर अधिवक्ता वादी की सहमति को मध्यनजर रखते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 18 से 21 के प्रावधानानुसार तैयार किया गया है। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी संवत जमाबंदी सम्वत् 2070—73 पटवार हल्का निवारिया भू.अभि.नि. क्षैत्र निवारिया के खाता संख्या 61 में दर्ज ख. नं. 895 रकबा 0.87 है0 में स्थित आराजी में खसरा संख्या दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अतः उक्त आराजी बाबत् दावा अंतिम निर्णय डिक्री पारित किया जाकर दावा विभाजन आराजियात व स्थायी निषेधाज्ञा होने से तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। प्रतिवादीगण 1 ता 2 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं या अन्य अन्य किसी माध्यम से वादी के हिस्से की भूमि जो कुर्रेजात रिपोर्ट में दर्शित है, में मजामहत व बाधा उत्पन्न नही करे तथा उक्त वर्णित भूमि या इसके हिस्से को रहन, दान, बेचान नही करे। पाबन्द रहे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 17.09.19 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली